



☎ 0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Industrial Area,
Bikaner – 334001

Email:-ro.bikaner@gmail.com

www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIK/BKN/BM- 791/2182-2186

Date : 21/10/2025

मैसर्स जय माँ माईन्स एण्ड मिनरल्स,
R/o- शॉप नम्बर 21, प्रथम तल, तहसील रोड,
न्यू घड़साना, जिला-श्रीगंगानगर

विषय: प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जय माँ माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 31/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000110545, क्षेत्रफल 9.3385 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 7,18,400 टी.पी.ए. (रोम) निकट ग्राम खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {एम.एल. नम्बर 31/2024, एम.एल. नम्बर 20/2023, एम.एल. नम्बर 42/2022, एम.एल. नम्बर 25/2021, एम.एल. नम्बर 39/2018, एम.एल. नम्बर 02/2024, एम.एल. नम्बर 24/2021, एम.एल. नम्बर 21/2022, एम.एल. नम्बर 04/2023, एम.एल. नम्बर 17/2023, एम.एल. नम्बर 27/2020, एम.एल. नम्बर 27/2024, एम.एल. नम्बर 18/2023, एम.एल. नम्बर 77/2019, एम.एल. नम्बर 37/2020, एम.एल. नम्बर 33/2020, एम.एल. नम्बर 31/2020, एम.एल. नम्बर 23/2020, एम.एल. नम्बर 80/2019, एम.एल. नम्बर 19/2024, एम.एल. नम्बर 25/2024, एम.एल. नम्बर 31/2023} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 112.9342 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-93,79,824 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बजरी, बॉल क्ले, ग्रेवल, कंकर, सिलिका सैंड एवं मुर्रम के खनन पर्यावरण स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का पत्रांक 1867 दिनांक 15.10.2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी इकाई की पर्यावरणी स्वीकृति की जनसुनवाई से सम्बंधित विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर (सभी संस्करण) तथा एक दैनिक क्षेत्रीय स्तर (हिन्दी संस्करण) में दिनांक 30.10.2025 तक प्रकाशित करावें तथा सभी अखबारों की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करावे ताकि लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 02.12.2025 (मंगलवार) को दोपहर 2.00 बजे ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, ग्राम-खारी चारनान, तहसील-कोलायत जिला-बीकानेर में करवाया जा सके।

साथ ही आपसे निवेदन है कि विज्ञापन में वर्णित सभी कार्यालयों में ई.आई.ए. रिपोर्ट्स तथा कार्यकारी सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां जमा करवायें तथा प्रमाण के साथ इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

OLC

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला कलक्टर, बीकानेर को सादर सूचनार्थ।
3. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, जिला-बीकानेर को सूचनार्थ।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

OLC



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

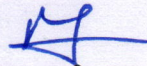
1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जय माँ माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 31/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000110545, क्षेत्रफल 9.3385 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 7,18,400 टी.पी.ए. (रोम) निकट ग्राम खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना [एम.एल. नम्बर 31/2024, एम.एल. नम्बर 20/2023, एम.एल. नम्बर 42/2022, एम.एल. नम्बर 25/2021, एम.एल. नम्बर 39/2018, एम.एल. नम्बर 02/2024, एम.एल. नम्बर 24/2021, एम.एल. नम्बर 21/2022, एम.एल. नम्बर 04/2023, एम.एल. नम्बर 17/2023, एम.एल. नम्बर 27/2020, एम.एल. नम्बर 27/2024, एम.एल. नम्बर 18/2023, एम.एल. नम्बर 77/2019, एम.एल. नम्बर 37/2020, एम.एल. नम्बर 33/2020, एम.एल. नम्बर 31/2020, एम.एल. नम्बर 23/2020, एम.एल. नम्बर 80/2019, एम.एल. नम्बर 19/2024, एम.एल. नम्बर 25/2024, एम.एल. नम्बर 31/2023] कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 112.9342 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-93,79,824 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बजरी, बॉल क्ले, ग्रेवल, कंकर, सिलिका सेंड एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि मैसर्स जय माँ माईन्स एण्ड मिनरल्स को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर।
2. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर।
3. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर।
4. उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, कोलायत, जिला-बीकानेर।
5. तहसील कार्यालय, कोलायत, बीकानेर।
6. पंचायत समिति-कोलायत, जिला-बीकानेर।
7. ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर।
9. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
10. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।
11. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गाँधी रोड, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 02.12.2025 (मंगलवार) को दोपहर 2.00 बजे ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, ग्राम-खारी चारनान, तहसील-कोलायत जिला-बीकानेर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।


(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी